



क्रमांक : नेयुकेस/कार्य:एएपी 2020-21/55

दिनांक: 28 सितंबर, 2020

समस्त राज्य निदेशक
नेहरू युवा केंद्र संगठन

विषय: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नेयुकेस की वार्षिक कार्य योजना के संदर्भ में

1. जैसा कि आप अवगत हैं कि नेयुकेस युवाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के संचालन में सहायक है और साथ ही उन्हें स्वयंसेवकवाद की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। नेयुकेस की वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को इस तरह से तैयार किया गया है कि सशक्त युवाओं के पास एक सार्थक जीवन जीने के लिए जागरूकता, शिक्षा, क्षमता निर्माण, नेतृत्व, व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हो सके, साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और महत्व की गतिविधियों में सहभागिता कर समाज में भागीदार बनने की क्षमता विकसित हो सके।
2. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को दो श्रेणियों में रखा गया है- फोकस क्षेत्र और कोर कार्यक्रम।
3. वार्षिक कार्य योजना में, ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी के साथ ग्रामीण युवाओं और एनवाईवी की प्रमुख भूमिका के साथ देश भर में कार्यान्वयन के लिए छह फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों, विकास विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। फोकस क्षेत्र हैं, *यूथ मैपिंग, स्किलिंग और हैंडहोल्डिंग - आत्म निर्भर भारत, कोविड -19: अभियान और पोस्ट लॉकडाउन हस्तक्षेप, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी टीमों की स्थापना, यूथ लेड फिट इंडिया मूवमेंट, युवा स्वास्थ्य एवं सकारात्मक जीवन शैली, स्वच्छ गाँव - हरित ग्राम अभियान और जल जागरण अभियान*। इन मुख्य क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए रणनीति, गतिविधियों, सहयोगी एजेंसियों, समय सीमा और औसत दर्जे का परिणाम संकेतक संलग्न सामान्य प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)/ दिशानिर्देशों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

निरंतर २/-

4. इसके अलावा, वार्षिक कार्य योजना में, 12 कोर कार्यक्रम हैं जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के ब्लॉक अनुदान से वित्त पोषित किए जाएंगे। कोर कार्यक्रम युवाओं की क्षमता को बढ़ाकर एक सार्थक जीवन जीने के साथ-साथ उन्हें छह फोकस क्षेत्रों और राष्ट्रीय महत्व की अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सक्षम बनाता है जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान के लिए आवश्यक हैं।
5. वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के तहत छह फोकस क्षेत्रों और कोर कार्यक्रमों में से प्रत्येक के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) / दिशानिर्देशों की एक प्रति अनुपालन हेतु संलग्न हैं। योजना के तहत कोर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बजट अनुबंध -1 में दिया गया है, जबकि कोर कार्यक्रमों के वितरण का आधार जो देश भर के संबंधित जिलों में ब्लॉक की संख्या पर निर्भर करता है, संलग्न एसओपी / दिशानिर्देशों में अनुबंध -2 में दिया गया है।
6. पी आर आई, गाँव के खिलाड़ियों और सेवा प्रदाताओं के साथ कोर कार्यक्रमों और समन्वय गतिविधियों के माध्यम से विकसित और प्रेरित युवाओं के काडर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित फोकस क्षेत्रों पर संयुक्त वार्षिक कार्य योजनाएँ 2020-21 बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
7. 623 जिलों में से प्रत्येक पर ग्राम आधारित कार्य योजना, जहाँ वर्तमान में नेयुकेस कार्य कर रहा है, को जिला स्तर पर संकलित किया जाना चाहिए। जिला कार्य योजना को उनके सभी 29 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य योजना तैयार करने के लिए संकलित किया जाना चाहिए। इसी तरह, राज्यों / संघ राज्य की कार्य योजनाओं को संकलित किया जाएगा, और यह नेयुकेस की राष्ट्रीय वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को तैयार करने में सहायता करेगा।
8. पूरे वर्ष में वार्षिक कार्य योजना कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को परिभाषित उपकरणों और विधियों के साथ मॉनिटर किया जाना चाहिए, उनके निष्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर सामग्रियों और जिम्मेदारियों के साथ विधिवत समर्थन किया जाना चाहिए और सकारात्मक अपेक्षित परिणामों के लिए समय समय पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।

9. इसके अलावा, गुणवत्ता परिणाम के साथ कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन को युक्तिसंगत बनाने और सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों को सभी जिला नेयुके द्वारा अग्रिम रूप से मौसम की स्थिति के इलाके एनवाईवी तैनाती और प्रशिक्षण के साथ-साथ भारत में जिला नेयुके में कर्मचारियों की सीमा को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित सुनिश्चित करें:

क) युवा मण्डलों का सक्रियकरण, नए युवा मण्डलों का गठन और सदस्यता को बढ़ाने का अभियान - पूरे देश में 1.00 करोड़ युवा मण्डलों सदस्यों के साथ 3 लाख से अधिक सक्रिय युवा मण्डलों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसे सभी जिला नेयुके द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि युवा मंडलों और उनके सदस्यों को सक्रिय किया जाए, नए युवा मंडलों का गठन किया जाए, सभी युवा मंडलों को पूरे साल अपनी सदस्यता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों में युवाओं का प्रतिनिधित्व हो और युवा मंडलों की सदस्य के रूप में महिलाओं का नामांकन किया जाए।

ख) सावधानियां: गतिविधियां आयोजित करते समय, युवाओं को फेस मास्क पहनना चाहिए, नियमित अंतराल पर हाथ धोना चाहिए, कर्मियों की साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए और सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ-साथ समय-समय पर सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई सलाह और दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, स्थानीय सूचनाओं के अनुसार, जिला प्रशासन से गतिविधियों के संचालन की अनुमति मांगी जा सकती है। केवल इच्छुक युवाओं को कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ग) कोर कार्यक्रमों की कुल संख्या में से कम से कम दो कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं।

11. वित्तीय पारदर्शिता

- यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जिला युवा समन्वयक संबंधित डीएसीवाईपी द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना 2020.21 की स्वीकृति के साथ कार्यक्रम आयोजित करें। यदि समय से डीएसीवाईपी से वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी मिलने में वास्तविक रूप में कठिनाई होती है तो उस स्थिति में जिला युवा समन्वयक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सत्यापन के बाद राज्य निदेशक उसे को अनुमोदित कर सकते हैं। बहरहाल, डीएसीवाईपी की बैठक में द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
- अनुमोदित कार्य योजना की प्रति 15 दिनों के भीतर केंद्र में स्थानीय प्रतिनिधियों, अन्य युवा संगठनों, एनवाईवी, जिला प्रशासन और हितधारकों के साथ साझा की जानी चाहिए।
- राज्य के निदेशकों को समेकित वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को नेयुकेस मुख्यालय को तुरंत प्रस्तुत करनी चाहिए।
- कार्यक्रमों का आयोजन करते समय, सभी कोडल औपचारिकताओं, जीएफआर और कार्यक्रम और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
- कार्यक्रम के संचालन के दौरान राज्य के निदेशकों और उप निदेशकों द्वारा औचक यात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कार्यक्रम की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।
- कोर प्रोग्राम और उनकी निधि को किसी अन्य अलग गतिविधि या कार्यक्रम के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के ब्लॉक अनुदान के कार्यक्रम घटक हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले, परियोजना को औपचारिक स्वीकृति और एजेंसी को प्रस्तुत किए जाने वाले बजट की स्वीकृति उचित चैनल के माध्यम से नेयुकेस , मुख्यालय से प्राप्त की जानी चाहिए। परियोजना की गतिविधियों और एजेंसी द्वारा बजट आवंटन की स्वीकृति को अंतिम सहमति और कार्यान्वयन से पहले उसकी स्वीकृति के लिए नेयुकेस मुख्यालय को सूचना दी जानी आवश्यक है।

- अन्य एजेंसियों और विभागों से जुटायी गई निधि की नेयुकेस मुख्यालय को पूर्व सूचना दी जानी चाहिए जिसे समन्वय गतिविधियों के तहत मासिक प्रगति रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है और साथ ही नेयुकेस मुख्यालय के वित्त अनुभाग और वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ साझा किया जाए।

12. अनुपालन हेतु अन्य बिंदु

- कार्यक्रमों के आयोजन की सही तिथियों के बारे में संसद के माननीय सदस्यों, एच.आर.डी। पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों, स्थानीय लोक प्रतिनिधियों (माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी), उपाध्यक्षों और शासी बोर्ड के सदस्यों तथा नेयुकेस के प्रमुख हितधारकों को पूर्व सूचना और आमंत्रण दिया जाना चाहिए।
- यह देखा गया है कि कुछ जिला युवा समन्वयक और राज्य निदेशक अपनी प्रगति रिपोर्ट समय पर नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि याद दिलाने के बाद भी या अधूरी जानकारी भेजी जा रही हैं। यह एक गंभीर मामला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रालय के कैबिनेट नोट के लिए नेयुकेस मुख्यालय अपने स्तर से मासिक प्रगति रिपोर्ट को बिना किसी असफलता के प्रस्तुत करना होता है। इसलिए, सभी स्तरों पर सभी क्षेत्र के अधिकारियों को समय सीमा के अनुसार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। मंत्रालय और अन्य हितधारकों को रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु अच्छे कार्यक्रमों / सफलता की कहानियों के साथ-साथ अच्छी कार्रवाई तस्वीरों को भी नेयुकेस मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए।
- संबंधित जिला नेयुके द्वारा नियोजित फोकस क्षेत्रों, कोर कार्यक्रमों, समन्वय गतिविधियों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की नियमित निगरानी सभी उप निदेशकों और राज्य निदेशकों द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए।

- राज्य स्तर पर होने वाली योजना समीक्षा और अनुवर्ती बैठकों में राज्य निदेशकों द्वारा जिलेवार मासिक प्रगति और उपलब्धियों की दोनों गुणात्मकता और संख्यात्मकता की समीक्षा की जानी चाहिए। बैठकों के कार्यवृत्त और अनुवर्ती कार्यवाई की सूचना नेयुकेस मुख्यालय को प्रेषित की जाए।
- राज्य निदेशक सभी स्तरों पर एसओपी / दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। वे आयोजित कार्यक्रमों के रिकॉर्ड का निरीक्षण और सत्यापन करेंगे। विषयांतर होने पर इंगित करेंगे। उपलब्धियों और कमियों पर अपने टिप्पणी लिखेंगे, और समय-समय पर चूक कर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाई का संज्ञान लेकर नेयुकेस मुख्यालय के उच्च अधिकारी को कार्यवाई के बारे में जानकारी देंगे।

शुभकामनाओं सहित


01.10.2020
(असित सिंह)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :

- वरिष्ठ पीपीएस - सचिव (युवा मामले), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
- समस्त उपाध्यक्ष एवं सदस्य शासी बोर्ड, नेयुकेस
- उप सचिव (युवा मामले), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
- वेबसाइट- नेयुकेस